**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 941**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**सुपरफास्‍ट रेलगाड़ि‍यों में परिवर्तनशील किराया**

**941. श्री अजय संचेती:**

 **क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

1. क्‍या रेलवे ने सभी सुपर फास्‍ट रेलगाड़ि‍यों में परिवर्तनशील किराया लागू किया है;
2. यदि हां, तो इस प्रणाली के लागू किए जाने के प्रयोजन सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
3. क्‍या इन उद्देश्‍यों को प्राप्‍त कर लिया गया है; और
4. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है, यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

सुपरफास्‍ट रेलगाड़ि‍यों में परिवर्तनशील किराए के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को लोक सभा में श्री अजय संचेती द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 941 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): 01.10.2014 से, अत्‍यधिक मांग वाली चुनिंदा कुछ गाडियों में तत्‍काल कोटे के अंतर्गत मौजूदा स्‍थान के 50 प्रतिशत को प्रीमियम तत्‍काल कोटे के रूप में निर्धारित किया गया है और इन्‍हें परिवर्तनशील किराए पर बुक किया जा रहा है। यह एक दूरी स्‍लैब आधारित किराया योजना है, जिसमें तत्‍काल किराए के अधिकतम तीन गुना के अध्‍यधीन 10 प्रतिशत बर्थों की प्रत्‍येक स्‍लैब के पश्‍चात 20 प्रतिशत किराया बढ़ जाता है। इसके अलावा, 09.09.2016 से राजधानी/शताब्दी/दूरांतो गाड़ी सेवाओं में फ्लैक्सी फेयर प्रणाली की शुरूआत की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक 10% बर्थों की बिक्री के साथ किराए में 10% की वृद्धि होती है बशर्ते सेकेंड एसी, स्लीपर, सेकेंड सिटिंग (आरक्षित), एसी चेअर कार श्रेणियों में अधिकतम निर्धारित सीमा 1.5 गुना और थर्ड एसी श्रेणी में 1.4 गुना हो। प्रथम श्रेणी एसी और एक्‍जीक्‍यूटिव क्‍लास के किरायों के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

 भारतीय रेल पर यात्री गाड़ि‍यों के परिचालन लागत में अत्‍यधिक वृद्धि हुई है लेकिन यात्री किराए अभी भी बहुत अधिक रियायती हैं। प्रीमियम तत्‍काल कोटा और फ्लेक्‍सी फेयर योजना की शुरूआत करने का लक्ष्‍य और उद्देश्‍य यात्री संव्‍यवहार में आवर्ती हानि को ध्‍यान में रखते हुए आमदनी में सुधार करना है। अतिरिक्‍त संसाधनों से रेलों को भारतीय रेल पर यात्रियों को अतिरिक्‍त सुविधाएं/सुख-सुविधाएं मुहैया कराने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ): राजधानी, शताब्‍दी और दूरांतो गाड़ि‍यों में 09.09.2016 से 30.06.2017 तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अतिरिक्‍त आमदनी लगभग 551 करोड़ रु. है। प्रीमियम तत्‍काल कोटा के निर्धारण से अतिरिक्‍त परिवर्तनशील आमदनी भी अर्जित की जाती है, बहरहाल, इस स्रोत से होने वाली वास्‍तविक आमदनी का मूल्‍यांकन नहीं किया जा सकता क्‍योंकि प्रीमियम तत्‍काल कोटा के अंतर्गत शेष रह गई बर्थें/सीटें सबसे पहले तत्‍काल कोटा के अंतर्गत प्रतीक्षारत यात्रियों को और उसके उपरांत जनरल कोटा के अंतर्गत प्रतीक्षारत यात्रियों को आबंटित की जाती है।

\*\*\*\*\*